

नालय तहसीलदार/ नायब तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर.....39...../2017 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

अनुवादन :- राज्य सरकार बनाम.....कालू राम.....

निर्णय

दिनांक :- 28.12.17

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का विजाबासरासत अंतर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट. 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश कि गैर सायल कालू राम पुत्र/पत्नी श्री बेगा राम जाति जाट निवासी अमृतवासी द्वारा ग्राम अमृतवासी के आराजी खसरा नम्बर 25 तादादी 5.21 हैक्टयर किस्म भूमि मोड़पापतन भूमि में से 0.0316 हैक्टयर/वर्गमीटर भूमि पर सम्वत् 2074 में नाजायज झाडाबनाक अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अतः इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत तामिल कराया गया। गैर सायल बावजूद विधिवत नोटिस तामिल के असालन व वकालतन उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरुद्ध दिनांक 12.12.17 को ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित बाबत कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर झाडाबनाक अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व सम्बन्धित कोई सन्तोषजनक जवाब/सबूत प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल कालू राम का उक्त खसरा नंबर 25 तादादी 5.21 हैक्टर मोड़पापतन भूमि में से 0.0316 हैक्टयर/वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। गैर सायल कालू राम अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अतः गैर सायल कालू राम पुत्र/पत्नी श्री बेगा राम जाति जाट निवासी अमृतवासी को ग्राम अमृतवासी के खसरा नम्बर 25 तादादी 5.21 हैक्टयर गै.मु. मोड़पापतन भूमि में से 0.0316 हैक्टयरा/वर्गमीटर भूमि का सम्वत् 2074 का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान 0.03 रुपये का 50 गुणा से 2.700 रुपये शास्ती आरोपित की जाती है।

तहसील राजस्वा लेखाकार का मांग कायमी, पटवारी हल्का का शास्ती राशि वसुली एवं हल्का भू-अभिलेख निरीक्षक को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतू लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.12.17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से क्रम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)